फा.सं.एफ.1/11(6)/2024-भ.-III

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-III अनुभाग

पद का नाम	अंडमान महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) के स्थायी पद की दो रिक्तियां (अना.-02)।
विज्ञापन संख्या	07/2024
रिक्ति संख्या	24040719313

महत्वपूर्ण अनुदेश:

ऐसे उम्मीदवार, जो उक्त रिक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु लघुसूचीबद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के आधार पर अपनी अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, वे मुख्य आधार (रों)/कारण (णों) बताते हुए अपना अभ्यावेदन दिनांक **19.09.2024** तक **sort3.upsc@nic.in** पर प्रस्तुत कर दें। इस तारीख के पश्चात प्राप्त हुई मेल को खोला नहीं जाएगा। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी मामले में उल्लिखित आधार/कारण, अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए, तो ऐसे आवेदनों को लघुसूचीबद्ध किया जाएगा और शेष आवेदनों की अस्वीकृति की स्थिति बरकरार रहेगी। तथापि, इसकी जांच आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव और वांछनीय अनुभव के संबंध में ऑन-लाइन भर्ती आवेदन में किए गए दावे के अनुसार की जाएगी। तत्पश्चात, यदि इसमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित और अद्यतन विवरण इस जगह अपलोड किए जाएंगे। अपना अभ्यावेदन मेल करने वाले उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि **इसमें पद का नाम, फाइल सं., रिक्ति संख्या, अनुक्रमांक** स्पष्ट रूप से इंगित हो। उक्त में से किसी ई-मेल का उत्तर अलग से नहीं दिया जाएगा।

अनिवार्य योग्यताएं (अ.यो.)	**शैक्षणिक** **(क) 1.**किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र में 55% अंकों (या जहां कहीं ग्रेड सिस्टम प्रचलन में है वहां किसी पॉइंट पैमाने में समकक्ष ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर डिग्री **2.** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) (अर्थशास्त्र) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त एसएलईटी/एसईटी (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा) जैसा कोई समान परीक्षण पास किया हो। अथवा उम्मीदवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 समय-समय पर उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार एनईटी/एसएलईटी/एसईटी से छूट प्राप्त हो, जैसा भी मामला हो, पीएच.डी. डिग्री (अर्थशास्त्र में) प्रदान की गई हो: बशर्ते यह भी कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 11 जुलाई, 2009 से पहले पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकरण किया था, वे डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के तत्कालीन अध्यादेशों/उप-नियमों/विनियमों के दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होंगे और ऐसे पीएच.डी. उम्मीदवारों को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर की भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी संबंधी अपेक्षा में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन छूट दी जाएगी: **क)** उम्मीदवार को पीएच.डी. डिग्री नियमित माध्यम में प्रदान की गई हो; **ख)** पीएच.डी. शोध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो; **ग)** उम्मीदवार की एक ओपन पीएच.डी. मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो; **घ)** उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी. कार्य से दो शोध–पत्र प्रकाशित किए हों, जिसमें से कम से कम एक किसी संदर्भित पत्रिका में हो; **ङ)** उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या किसी समान एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्त पोषित/समर्थित सम्मेलन/संगोष्ठी में अपने पीएच.डी. कार्य के आधार पर कम से कम दो पेपर प्रस्तुत किए हों।

	उपर्युक्त (क) से (ड) तक की शर्तों की परिपूर्णता, संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/डीन (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। **या** **(ख)** किसी विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था से अर्थशास्त्र में पीएच.डी. हो।

अपनाए गए मानदंड	• संवीक्षा उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन में भरी गई जानकारी के अनुसार कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट और इसके साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर की गई है। • आवेदनों की संवीक्षा पूर्णतया संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है। • संवीक्षा हेतु, ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में किए गए दावों को ही शैक्षिक योग्यता/अनुभव के रूप में माना गया है। केवल उन उम्मीदवारों के समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है, जिन्होंने ऐसे दावों के संबंध में सूचना दी है जो उनकी अ.यो.-क1, अ.यो.क2 और अ.यो.-ख के संबंध में उनकी पात्रता के लिए स्वीकार्य हैं और ओआरए के संगत मॉड्यूल में उनका संदर्भ दिए बिना संलग्न किए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है। • भारतीय अर्थशास्त्र, कृषि संबंधी अर्थशास्त्र, और व्यवसाय अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री को स्वीकार किया गया है। • आगंतुक/अतिथि संकाय, प्रति घंटे के आधार पर, अंशकालिक के रूप में अध्यापन को संगत अनुभव के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। • अनुभव प्रमाण पत्र, भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं.एफ.8/84/2010-आर (सी एण्ड पी) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार विहित प्रपत्र में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है, यदि उसमें अपेक्षित सूचना उपलब्ध हो। • नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, त्याग-पत्रों, वेतन प्रमाण-पत्रों, सेवा प्रमाण-पत्रों और उम्मीदवारों द्वारा स्वयं साक्ष्यांकित प्रमाण-पत्रों या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है। • जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों पर कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार नहीं किया गया है और 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार, ऐसे आवेदक जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र, दावा की आई सम्पूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस समय-अवधि पर विचार किया गया है जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं। • कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। **नोट: आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।**

संवीक्षा

<u>01 अना. रिक्ति</u>

<u>मानदंड:</u> [अ.यो.-क (1) + अ.यो.-क (2)] या अ.यो.-(ख)] + 06 महीने या उससे अधिक का अध्यापन अनुभव

<u>साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए</u>

अनुक्रमांक:

25 27 39$ 54$ 64$ 71 77$ 98 130$ 140$ 146

155$ 172 192$ 199

$ विभिन्न प्रमाण-पत्रों/डिग्रियों में आवेदक/आवेदक के पिता/आवेदक की माता के नाम में भिन्नता के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन, अनंतिम।

(15 उम्मीदवार)

अस्वीकृत:

एलईक्यू-क(2)

अनुक्रमांक:

194

(1 उम्मीदवार)

अपूर्ण

कारण	अनुक्रमांक
यूजीसी एनईटी प्रमाण-पत्र नहीं	55, 96
2009/2016 के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएच.डी. डिग्री नहीं	67
अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं	44
अनुभव प्रमाण-पत्र का अंग्रेजी प्रारूप नहीं	89
नियुक्ति/त्याग पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेशों/वेतन प्रमाण-पत्रों/उम्मीदवारों द्वारा स्वयं को स्व-प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों आदि पर अनुभव के प्रमाण के रूप में विचार नहीं किया गया है।	

(5 उम्मीदवार)

एलईसी
अनुक्रमांक:

05 08 09 28 35 37 48 52 53 56 57 60

61 63 66 69 74 76 90 92 95 108 113 114

116 131 139 141 142 144 148 151 153 157 158 162

163 171 204

(39 उम्मीदवार)

और शेष 150 आवेदनों को 06 महीने या उससे अधिक का अध्यापन अनुभव का दावा नहीं करने के आधार पर **एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड में कमी)** श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया है।

इस पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक सहित आयोग की वेबसाइट पथ: मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>>आवेदकों की सूची में अपलोड कर दिया गया है।

संकेतक:

एलईक्यू-क (2) – अनिवार्य योग्यता-क(2) में कमी।

ईसी – अनुभव प्रमाण-पत्र।

एलईसी – बढ़ाए गए मानदंड में कमी।

परामर्शदाता उप सचिव (भ.-III)